

सं. : 1:05:138:II :सीएस  
दिनांक : 10.06.2026

|                                                                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा,<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 | बीएसई लिमिटेड,<br>कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25,<br>पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत आरईसी लिमिटेड के पीएफसी में प्रस्तावित विलय हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में सूचना।**

महोदया/महोदय,

हमारे दिनांक 16 मई, 2026 के पत्र के संदर्भ में है, जिसके माध्यम से कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा आरईसी लिमिटेड के पीएफसी में विलय के प्रस्ताव को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने के निर्णय की सूचना दी थी।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 जून, 2026 के पत्र के माध्यम से उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने की सूचना दी है।

आपके सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद।

भवदीय,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
[mk\\_agarwal@pfcindia.com](mailto:mk_agarwal@pfcindia.com)